तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 26.12.19 को पेश हो।	
26.12.19	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आरम्भ से अन्त तक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र के कथन, वर्णित तथ्य वांछित अनुतोष, प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज, पर विचार किया। एक पक्षीय बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादगत भूमि का वादी अभिलिखित खातेदार है। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध वांछित अनुतोष का हकदार है। प्रतिवादी को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया जा चुका है। वादी के गवाहान से भी प्रति० द्वारा जिरह नहीं की गयी। प्रतिवादी वादी के वाद को लम्बा चलाने की गरज़ से वाद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वादी की उक्ति पर प्रतिवादी को किसी प्रकार का हक नहीं है अतः दावा मंजूर किया जावे। हमनें प्रकरण पर सम्यक विचार किया। जवाब दावा प्रतिवादी दि० 18.11.19 को बंद किया जा चुका है। प्रतिवादी वाद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेकर मात्र वाद को लिंगरिंग करना चाहते है यहाँ तक की प्रतिवादी ने 26/12/19	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साक्ष्य शपथ-पत्रों की प्रति प्राप्त करने से ही इन्कार किया और कथन किये कि उन्हें जवाब का अवसर दिया जावे। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा न्यायिक कार्यवाही का एक प्रकार से अनुसरण नहीं किया है। सुव्यवस्थित न्यायिक कार्यवाही में समुचित विधिक तौर तरीके से हिस्सा नहीं लेने के कारण प्रतिवादी के द्वारा की जाने वाली जिरह व आगामी साक्ष्य बंद की जा चुकी है क्योंकि प्रतिवादी जान बूझकर न्यायालय की कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य पर सम्यक विचार किया। हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम मोरडी सं. 2071-75 खाता नम्बर 65 पर खसरा नम्बर 368 व 372 वादी गोपाल के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। रिकार्ड में भूमि कृषि भूमि दर्ज है। वादी की जाति R.T. Act 1955 की धारा 5 में यथा परिभाषित अनु० जाति की श्रेणी में आती है, जिस पर विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी का खातेदारी स्वत्व हासिल नहीं हो सकता। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का सरोकार होना तय नहीं किया जा सकता। न ही प्रतिवादी की खातेदारी ही प्रकट हो सकती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्य साक्ष्य वादी उक्त भूमि पर धारा 5(43) अनुसार आसामी तथा धारा 14 अनुसार खातेदार की हैसियत रखता हुआ प्रकट होता है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर बिना विधिक अधिकार के कब्जा किया जाता है, या अन्य प्रकार से मदाखलत मजाहमत की जाति है, तो इससे वादी को अपरिमित क्षति होना संभाव्य है। साथ ही यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कृत्य दोहराया जाता है, तो इससे इनके मध्य वाद बाहुल्य की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। वादी अनुसूचित जाति का कृषक है, जिसके खातेदारी स्वत्व एवं भूमि के उपयोग उपभोग के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई आदेश पाबंद किया जाता है, कि वो ग्राम कोटड़ी की भूमि अराजी नम्बर 368, 372 किता 2 रकबा 1.14 हेक्टर पर वादी के हितों के विपरीत मदाखलत मजाहमत नहीं करे। वादी की उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करे। प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेश दिये जाते हैं, कि यदि दौराने वाद प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	की उक्त भूमि पर ~~मल~~ बिना विधिक अधिकार के मलवा आदि डाल दिया है वो प्रतिवादी-1 के खर्चे से हटवाया जाकर खाली भूमि वादी के सुपुर्द की जावे।	
	तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्णीत में गणना की जाकर बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	
	निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	26/12/19	
	(चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~[illegible]~~

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी

व इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

गोपाल —बनाम— जुगलकिशोर

दावा बाबत 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 55 —सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल करूबरू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी श्री हरवीर सिंह एड. —मिनजानिब मुद्दई व— एक तरफा

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अंतिम स्थाई वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी नं.1 को आदेश पाबंद किया जाता है, कि वो ग्राम तोरडी की भूमि खसरा नं. 368, 372, किता 2 रकबा 1.14 हे० पर वादी के हितों के विपरीत मदाखलत, मजाहमत नहीं करे, वादी की उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करे। प्रतिवादी नं. 2 को आदेश दिये जाते है, कि यदि दौरान वाद प्रतिवादी नं.1 द्वारा वादी की उक्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के मलवा आदि डाल दिया हो तो प्रतिवादी नं.1 के खर्च से हटवाया जाकर खाली भूमि वादी को सुपुर्द की जावे।

—फीसदी सालाना ब्याज की तारीख

खर्चा ... व ... —को अदा करें।

से तारीख वसूलयाबी तक—

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 26 —माह— 12 —200 2019

को जारी की गई।

दस्तखत— उपखण्ड अधिकारी
ओहदा— रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा	..	2	—	स्टाम्प वकालतनामा	..	2	—
स्टाम्प वकालतनामा	..	1	—	स्टाम्प अर्जी	..	—	-
स्टाम्प बजह सबूत	..	—	-	महनताना वकील पर	..	—	-
महनताना वकील	..	—	-	खर्चा गवाहान	..	—	-
खर्चा गवाहान	..	—	-	फीस कमिश्नर	..	—	-
फीस कमिश्नर	..	—	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	..	—	
बाबत इजराय हुक्मनामा	..	—	-	मुतफर्रिक	..	1	—
मुतफर्रिक	..	20	—				
	मीजान..	23	—		मीजान..	3	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 प्र.